



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072026-274052
CG-DL-E-03072026-274052

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3472]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 3, 2026/आषाढ 12, 1948

No. 3472]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 3, 2026/ASHADHA 12, 1948

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2026

का.आ. 3607(अ).— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 2 के खंड (च) के उपबंध के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संबंधित भागीदार राज्यों की सहमति के अनुपालन में और बोर्ड के परामर्श से, केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 (1985 का 2) की अनुसूची में निर्दिष्ट अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्रों के विवरण से संबंधित निम्नलिखित संशोधन एतद द्वारा करती है:-

1. राजस्थान राज्य से संबंधित शहरी विकास मंत्रालय की 1 अक्टूबर, 2013 की राजपत्र अधिसूचना संख्या का.आ. 2979 (ई) के क्रम संख्या 2 के माध्यम से तत्पश्चात संशोधन अनुसार उक्त अनुसूची के क्रम संख्या 4 पर मौजूद प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाती हैं: -

i. पूरा अलवर जिला जिसमें अलवर, गोविंदगढ़, रैणी, लक्ष्मणगढ़, मालाखेड़ा, राजगढ़, टहला, रामगढ़, नौगावा, थानागाजी, प्रतापगढ़ और कठूमर की तहसीलें शामिल हैं:

ii. पूरा खैरथल-तिजारा जिला जिसमें तिजारा, किशनगढ़बास, खैरथल, कोटकासिम, हरसोली, टपूकड़ा और मुंडावर तहसीलें शामिल हैं:

- iii. कोटपूतली -बहरोड़ जिले की तहसीलें अर्थात् बहरोड़, बानसूर, नीमराना, मांडण और नारायणपुर तहसीलें एनसीआर क्षेत्र में शामिल हैं। जबकि कोटपूतली, विराटनगर और पावटा तहसील एनसीआर क्षेत्र में शामिल नहीं हैं।
- iv. पूरा भरतपुर जिला जिसमें भरतपुर, बयाना, वैर, भुसावर, रूपवास, रुदावल, उच्चैन और नदबई तहसीलें शामिल हैं।
- v. पूरा डीग जिला जिसमें डीग, जनूथर, कुम्हेर, रारह, नगर, सीकरी, कामां, जुरहरा और पहाड़ी तहसीलें शामिल हैं।

[फा. सं. के-11019/9/2013-डीडी VI]

आर. बी. मीना, अवर सचिव (डीडी-VI)

MINISTRY OF HOUSING AND UBBAN AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2026

S.O. 3607(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso of Clause (f) of Section 2 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985) and in pursuance of consent of concerned participating States and in consultation with the Board, the Central Government hereby makes the following amendments relating to the description of the areas in the National Capital Region as specified in the Schedule to the National Capital Region Planning Board Act. 1985 (2 of 1985): -

1. To the existing entries at Sr. No. 4 of the said Schedule as amended thereafter vide SI. No. 2 of the Gazette Notification of Ministry of Urban Development No. S.O. 2979 (E) dated 1st October, 2013 relating to the State of Rajasthan, the following entries are substituted: -

i. The whole of Alwar district comprising of Tehsils of Alwar, Govindgarh, Reni, Lachhmangarh, Malakhera, Rajgarh, Tehla, Ramgarh, Naugaon, Thanagazi, Pratapgarh and Kathumar:

ii. The whole of Kherthal-Tijara district comprising of Tehsils of Tijara, Kishangarhbas, Kherthal, Kotkasim, Harsoli, Tapukada and Mundawar;

iii. The Tehsils of Kothputli-Behror district namely Tehsils Behror, Bansur, Neemrana, Mandan and Narayanpur included in NCR area. While Tehsil of Kotputli, Viratnagar and Pavta not included in NCR area.

iv. The whole of district of Bharatpur comprising the Tehsils of Bharatpur, Bayana, Weir, Bhusawar, Rupbas, Rudawal, Uchain and Nadbai.

v. The whole of district of Deeg comprising of Tehsils of Deeg, Januthar, Kumher, Rarah, Nagar, Sikri, Kaman, Jurhera and Pahari.

[F. No. K-11019/9/2013-DD VI]

R. B. MEENA, Under Secy. (DD-VI)